प्रैस विज्ञप्ति
दिनांक 19.10.2020

महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के दृष्टिगत नामित नोडल अधिकारी कमांडेंट 41वी वाहिनी महोदया द्वारा विभिन्न थानों/स्थानों का किया गया निरीक्षण/भ्रमण

शासन के निर्देशों के क्रम महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराध (जैसे दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, चैन स्नैचिंग इत्यादि) घटनाओं के दृष्टिगत दिनांक 17.10.2020 से अगले 6 माह तक एक समग्र अभियान **"मिशन शक्ति"** चलाया जा रहा है जिसका प्रथम चरण आगामी शारदीय नवरात्रि दिनांक 17.10.20 से 25.10.20 तक की अवधि में विशेष रूप से प्रचलित है। महिलाओं एवं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम एवं अभियान को सफल बनाए जाने हेतु आज दिनांक 19.10.2020 को शासन एंव पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी कमांडेंट 41वी वाहिनी पीएससी गाजियाबाद श्रीमती भारती सिंह द्वारा महिला क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती अलका के साथ महिला थाना, थाना सिकन्द्राबाद व थाना स्याना का निरीक्षण किया गया तथा महिला अपराधों से संबन्धित रजिस्टर/अभिलेख व महिला हेल्प डेस्क को चैक किया गया। साथ ही महिला फरियादियों की समस्याओं को सुना गया एवं संबन्धित को उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। संबन्धित थानाप्रभारियों को निर्देशित किया गया कि महिला अपराधों में संलिप्त अभियुक्तो की वेरिफिकेशन करें, कि अपराधी जेल में है अथवा बहार है। इसके उपरान्त महिला हैल्पलाइन-1090 पुलिस कन्ट्रोल रूम, वन स्टॉप सेन्टर(महिला एवं बाल विकास विभाग) व जिला महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण/भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। नोडल अधिकारी कमांडेंट 41वी वाहिनी महोदया द्वारा महिला क्षेत्राधिकारी स्याना के नेतृत्व में कस्बा स्याना स्थित बुगरासी अड्डे पर अभियान चलाकर महिलाओं/बालिकाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से आने-जाने वाली महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा जागरूकता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी। जैसे बालिका सुरक्षा, एंटी रोमियों स्क्वायड, यूपी-100, वूमेन पावर लाइन 1090 एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी आदि जानकारियां दी गयी। जनपद में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड को अधिक सक्रिय करने हेतु टीम के प्रभारियों/कर्मचारियों व महिला हेल्प डेस्क ऑफिसर को ब्रीफ कर छात्राओं/महिलाओं के साथ घटित होने वाली अपराधो की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

मिशन शक्ति का उद्देश्य-

जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों जैसे चौराहों, बाजारों, मॉल्स, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों, सौदों से मुक्त कराना है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे तथा महिलाओं एवं छात्राओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अश्लील प्रदर्शन एवं अभ्रद टिप्पणियां आदि घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्न कार्रवाई की जाएगी-

1- जनपद के प्रत्येक थानों में गठित एंटी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त महिला पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थानों यथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास तथा मॉल्स, बाजार ऐसे स्थान जहां महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता हो, को भौतिक रूप से चयनित किया जाएगा। जहां सौदों एवं मंचलों के द्वारा छेडखानी इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती है, ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करते हुए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी एवं अनवरत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

2- महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों के संबंध में आम जनमानस में सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करना है।

3- जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएं उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से काउंसलिंग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

4- सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गंभीरता व गुरुता के दृष्टिगत धारा 151, 110 द०प्र०सं० व धारा 294,354 भादवि तथा गुंडा एक्ट आदि सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत ठोस विधिक कार्रवाई तत्परता पूर्वक की जाएगी।

5- जनपद पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्व सौदों से मुक्त कराना है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना नहीं है।

6. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड अपने-अपने क्षेत्र के स्कूल, कालेजो के प्रधानाचार्यो से सम्पर्क में रहे तथा समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर स्कूल में आने वाले मनचलों के बारे में जानकारी करें।

7. बार-बार इस प्रकार की गतिविधियों में पाये जाने वाले शोहदो/मनचलों/असामाजिक तत्वों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें।

8. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड छोडछाड करने वाले के विरूद्ध कडी कार्यवाही करते हुए उसकी वीडियोग्राफी भी करें तथा उनके अभिभावकों को विश्वास में लेकर उसकी हरकतों से अवगत करायें।

9. यदि किसी युवक द्वारा किसी महिला/बालिका के साथ कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है अथवा कोई इशारा किया जाता है, तो युवक से पूछताछ करते हुए उसका नाम पता व मोबाइल नम्बर आदि नोट कर उसके परिजनों को बुलाया जाये तथा आवश्यकतानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाये।

10. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड प्रतिदिन की कार्यवाही का एक रजिस्टर अपने साथ रखेंगे, जिससे पकडे गये/चेतावनी दिये गये युवको तथा चैक किये गये स्थानो आदि का विवरण नोट करेंगे।

11. एण्टी रोमियो स्क्वायड के पास एक छोटा कैमरा/मोबाइल फोन अपने पास अवश्य रखेंगे ताकि आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त आदि बिन्दुओ पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

....